भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-04

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

उदय

***4. कुमारी शोभा कारान्दलाजेः**
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य स्वामित्वाधीन विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय और प्रचालन संबंधी पुनरुद्धार हेतु आरंभ की गई उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) से उनके लिए नयी समस्याएं पैदा होने और दीर्घावधि में ऋण जाल में फंसने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना की रूपरेखा बनाने, लागू और कार्यान्वित करने में राज्यों और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों से विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की उपलब्धियां राज्य-वार क्या हैं;

(घ) क्या राज्यों के लिए यह योजना ऐच्छिक है और यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत सरकार के साथ समझौताज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य विद्युत कंपनियों के भावी संभावित नुकसानों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उदय" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 04 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी नहीं। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) एवं विभिन्न राज्य सरकारों सहित दावेदारों से परामर्श करके तैयार एवं शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज के बोझ, विद्युत की कीमत तथा वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों में कमी लाना है तथा डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है।

उदय योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले राज्यों के निष्पादन की बारीकी से मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है। यह समिति बांड जारी करने, प्रचालन संबंधी आवश्यकता के लिए बैंक वित्तपोषण, प्रशुल्क संबंधी मामलों तथा राज्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों सहित प्रतिभागी राज्यों के प्रचालनात्मक और वित्तीय मानदंडों की समीक्षा करती है।

(ग) : दिनांक 27.01.2017 की स्थिति के अनुसार, उदय के अंतर्गत प्रतिभागी राज्यों द्वारा घटी हुई ब्याज दर पर 1,83,084.29 करोड़ रुपए मूल्य के बांड जारी कर दिए गए हैं जिससे ब्याज भार में बचत हुई है। उदय के प्रतिभागी राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान बांड जारी करने और मानदंड-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I और** II में दिया गया है।

(घ) : इस स्कीम में शामिल होना राज्यों के लिए वैकल्पिक है। दिनांक 27.01.2017 की स्थिति के अनुसार, बीस राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए हैं। उपरोक्त राज्यों में से गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, पुडुचेरी और उत्तराखंड अपने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उदय में शामिल हो गए हैं।

(ङ) : इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को डिस्कॉमों का 75% ऋण अपने ऊपर लेना है जो मौद्रिक दायित्वों एवं बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमाओं के बाहर होगा। भावी हानियों की संभावनाओं को कम करने के लिए, राज्य/डिस्कॉम समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों तथा राजस्व अंतरालों को कम करने के उपायों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनमें कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाना, अदक्ष से दक्ष संयंत्रों को कोयले की स्वैप की उदारता से अनुमति देना, अधिसूचित कीमतों पर कोयला लिंकेज का आबंटन करना, मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा दक्षता उपाय करना आदि शामिल हैं।

****

अनुबंध-I

"उदय" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

उदय के अंतर्गत बांड जारी करने का सार (27.01.2017 की स्थिति के अनुसार)				
क्रम सं.	राज्य	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम देयताएं (एमओयू के अनुसार)	आज की तारीख तक राज्य द्वारा जारी किए गए कुल बांड	डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए कुल बांड
1	2	3	4	5
1	राजस्थान	80530	58157	12368
2	उत्तर प्रदेश	53935	39133.29	10714
3	छत्तीसगढ़	1740	870	0
4	झारखंड	6718	6136	0
5	पंजाब	20838	15629	0
6	बिहार	3109	2332	0
7	जम्मू व कश्मीर	3538	3538	0
8	हरियाणा	34602	25951	0
9	आंध्र प्रदेश	11008	8256	0
10	मध्य प्रदेश	30594	0	0
11	महाराष्ट्र	6613	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	3854	0	0
13	तेलंगाना	11897	0	0
14	असम	1510	0	0
15	तमिलनाडु	30420	0	0
कुल		**300906**	**160002.29**	**23082**

****

अनुबंध-II

"उदय" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य का नाम	उदय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही के दौरान मुख्य प्राचलों में प्राचल-वार लक्ष्य और उपलब्धियां													
	फीडर मीटरिंग (शहरी) [सं.]		फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) [सं.]		डीटी मीटरिंग (शहरी) [सं.]		डीटी मीटरिंग (ग्रामीण) [सं.]		घरेलू कनेक्शन (लाख)		फीडर संशोधन (सं.)		फीडर पृथक्करण (सं.	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
गुजरात	0.00	67.00	0.00	181.00	6189.00	9169.00	80561.00	45794.00	1.43	1.76	3543.00	4983.00	0.00	206.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	13347.00	2000.00	35408.00	0.00	0.00	0.00	7938.00	4300.00	0.00	0.00
कर्नाटक	4.00	5.00	9.00	10.00	1953.00	2097.00	10910.00	12187.00	0.56	0.59	643.00	387.00	234.00	132.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	2000.00	0.00	2.83	4.10	32.00	31.00	106.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	794.00	165.00	23499.00	0.00	27362.00	0.00	17.93	8.20	14128.00	1505.97	0.00	0.00
झारखंड	0.00	25.19	661.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	6.00	1.00	210.00	0.00	115.00	0.00
राजस्थान	153.00	141.00	1598.00	1036.00	9073.00	8932.00	0.00	0.00	2.50	2.74	7000.00	5985.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	61.00	61.00	692.00	646.00	3607.00	1826.00	42937.00	15995.00	3.14	2.16	112.00	52.00	176.00	170.00
मणिपुर	9.00	9.00	15.00	30.00	359.00	354.00	436.00	395.00	0.69	0.59	17.00	17.00	0.00	0.00
पुडुचेरी	5.00	0.00	6.00	0.00	435.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	223.00	121.00	887.00	349.00	11115.00	0.00	29619.00	0.00	1.10	0.00	33.00	0.00	140.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	4538.00	73.00	0.00	0.00	45.30	0.52	0.00	267.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	8.00	13.00	8.00	0.00
महाराष्ट्र	46.00	46.00	34.00	34.00	1506.00	1506.00	113.00	113.00	1.00	3.86	930.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	324.00	324.00	582.00	299.00	9081.00	535.00	0.00	0.00	0.40	0.00	60.00	0.00	23.00	0.00

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-06

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

संयंत्रभार क्षमता

***6. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार औसत संयंत्रभार क्षमता अलग-अलग कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन संयंत्रों की क्षमता का कम उपयोग किए जाने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"संयंत्रभार क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 06 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2016 तक की अवधि के लिए देश में ताप विद्युत स्टेशनों का औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 59.64% है। अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2016 तक देश में विभिन्न ताप (कोयला/लिग्नाइट आधारित) स्टेशनों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार पीएलएफ **अनुबंध-I** में दिया गया है। गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के मामले में पीएलएफ 23.07% है।

(ख) : संयंत्रों का कम उपयोग होने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि शामिल है। इनमें नवीकरणीय का व्यापक विस्तार, दक्षता उपायों के कारण ऊर्जा का संरक्षण तथा गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए गैस की कम उपलब्धता शामिल है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (7) के अनुसार, "यदि कोई उत्पादन कंपनी ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो वह अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। वर्तमान में 71000 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। क्षमता अभिवृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

"संयंत्रभार क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 06 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

ताप (कोयला/लिग्नाइट आधारित केवल) विद्युत स्टेशनों का क्षेत्र-वार, राज्य-वार और स्टेशन-वार औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ)

सेक्टर	क्षेत्र	राज्य	स्टेशन का नाम	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) %		
					2016-17 (दिसं., 2016 तक)*	2015-16	2014-15
केंद्रीय	एनआर	दिल्ली	बदरपुर टीपीएस	705	36.6	36.19	53.13
		दिल्ली कुल		705	36.6	36.19	53.13
		हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	45.6	44.01	53.45
		हरियाणा कुल		1500	45.6	44.01	53.45
		राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	59.08	58.54	63.04
		राजस्थान कुल		250	59.08	61.47	63.04
		उत्तर प्रदेश	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	61.12	62.85	77.05
			रिहंद एसटीपीएस	3000	82.98	79.9	80.91
			सिंगरौली एसटीपीएस	2000	85.34	92.61	82.86
			टांडा टीपीएस	440	83.45	80.88	82.02
			ऊंचाहार टीपीएस	1050	74.98	76.04	82.86
		उत्तर प्रदेश कुल		8310	77.77	78.79	80.84
	डब्ल्यआर	छत्तीसगढ़	भिलाई टीपीएस	500	83.09	80.82	74
			कोरबा एसटीपीएस	2600	87.31	89.45	88.08
			सिपत एसटीपीएस	2980	89.73	85.14	83.41
		छत्तीसगढ़ कुल		6080	88.15	86.63	84.63
		मध्य प्रदेश	विंध्याचल एसटीपीएस	4760	74.67	79.46	79.25
		मध्य प्रदेश कुल		4760	74.67	79.46	79.25
		महाराष्ट्र	मौदा टीपीएस	1660	38.31	21.31	26.38
		महाराष्ट्र कुल		1660	38.31	21.31	26.38
	एसआर	आंध्र प्रदेश	सिमाद्री	2000	80.93	82.36	85.76
		आंध्र प्रदेश कुल		2000	80.93	82.36	85.76
		कर्नाटक	कुडगी	800	0		
		कर्नाटक कुल		800	0		
		तमिलनाडु	नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस	420	88.37	88.62	92
			नैवेली टीपीएस-I	600	68.15	59.98	69.09
			नैवेली टीपीएस-II	1470	83.74	81.96	86.44
			नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	500	29.64	0	0
			तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000	69.79	56.18	0
			वल्लूर टीपीपी	1500	67.02	58.57	62.7
		तमिलनाडु कुल		5490	70.35	68.57	77.15
		तेलंगाना	रामागुंडम एसटीपीएस	2600	83.7	88.67	89.75
		तेलंगाना कुल		2600	83.7	88.67	89.75
	ईआर	बिहार	बाढ़-II	1320	62.33	67.74	40.43
			कहलगांव टीपीएस	2340	78.41	74.32	76.19

			मुजफ्फरपुर टीपीएस	415	46.99	40.31	46.47
			नबीनगर टीपीपी	250	0	0	0
		बिहार कुल		4325	71.15	70.6	68.78
		डीवीसी	बोकारो `बी` टीपीएस	630	29.36	33.61	29.61
			बोकारो टीपीएस `ए` एक्सपैं.	500	0	0	0
			चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	890	72.95	64.96	63.84
			दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	73.67	50.55	44.09
			दुर्गापुर टीपीएस	210	15.03	30.28	43.7
			कोडरमा टीपीपी	1000	45.02	37.87	22.64
			मेजिया टीपीएस	2340	60.56	58.31	56.78
			रघुनाथपुर टीपीपी	1200	18.89	0	0
		डीवीसी कुल		7770	50.36	50.67	47.09
		झारखंड	पतरातु टीपीएस**	455	9.13	8.78	11.47
		झारखंड कुल		455	9.13	8.78	11.47
		ओडिशा	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	460	91.68	92.33	93.9
			तालचर एसटीपीएस	3000	85.15	90.95	90.18
		ओडिशा कुल		3460	86.01	91.13	90.67
		पश्चिम बंगाल	फरक्का एसटीपीएस	2100	73	67.01	72.73
		पश्चिम बंगाल कुल		2100	73	67.01	72.73
	एनईआर	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	250	76.31	0	0
		असम कुल		250	76.31	0	0
केंद्रीय कुल				52515	70.97	72.52	73.96
राज्य	एनआर	दिल्ली	राजघाट टीपीएस	135	0	3.93	35.81
		दिल्ली कुल		135	0	3.93	35.81
		हरियाणा	पानीपत टीपीएस	920	28.65	14.27	36.96
			राजीव गांधी टीपीएस	1200	38.83	43.97	54.2
			यमुना नगर टीपीएस	600	69.96	76.97	66.89
		हरियाणा कुल		2720	42.26	37.45	49.19
		पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह.मोह.)	920	41.46	38.83	55.93
			जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440	24.06	23.76	37.17
			रोपार टीपीएस	1260	32.79	35.77	51.92
		पंजाब कुल		2620	34.37	34.83	50.85
		राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी	1000	75.2	45.44	65.07
			गिरल टीपीएस	250	0	12.53	16.31
			कालीसिंध टीपीएस	1200	48.61	67.28	25.77
			कोटा टीपीएस	1240	72.14	71.52	81.99
			सूरतगढ़ टीपीएस	1500	40.35	45.18	76.82
		राजस्थान कुल		5190	54.62	53.93	66.67
		उत्तर प्रदेश	अनपरा टीपीएस	2630	69.2	83.78	74.15
			हरदुआगंज टीपीएस	665	73.03	64.82	61.82
			ओबरा टीपीएस	1278	30.38	35.27	32.1
			पंकी टीपीएस	210	49.97	29.06	53.38
			परीछा टीपीएस	1140	72.43	67.58	63.44
		उत्तर प्रदेश कुल		5923	60.37	62.54	58.2
	डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	डीएसपीएम टीपीएस	500	94.15	90.74	85.59
			कोरबा-II	200	56.7	45.22	54.24
			कोरबा-III	240	69.94	68.51	59.99
			कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340	75.31	76.85	82.06
			मारवा टीपीएस	1000	27.28	0	0
		छत्तीसगढ़ कुल		3280	64.53	76.24	78.07
		गुजरात	अकरीमोता लिग्ना. टीपीएस	250	63.3	65	62.04
			भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	250	0	0	0

			गांधी नगर टीपीएस	870	28.48	35.75	44.49
			कच्छ लिग्ना. टीपीएस	290	60.77	63.65	64.27
			सिक्का रिप्. टीपीएस	740	29.44	17.29	44.85
			उकई टीपीएस	1350	47.71	46.84	56.69
			वानकबोरी टीपीएस	1470	30.47	43.86	57.73
		गुजरात कुल		5220	38.07	44.22	54.81
		मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस	210	75.18	61.6	57.44
			संजय गांधी टीपीएस	1340	54.41	59.92	58.13
			सतपुरा टीपीएस	1330	29.3	47.15	52.07
			श्री सिंघाजी टीपीपी	1200	21.59	40.32	26.07
		मध्य प्रदेश कुल		4080	37.64	50.41	49.78
		महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	1420	44.78	64.83	47.38
			चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2920	65.07	59.18	61.02
			खापरखेड़ा टीपीएस	1340	64.43	69.3	70.37
			कोराडी टीपीएस	2600	35.62	20.2	25.58
			नासिक टीपीएस	630	61.82	78.21	76.14
			पारस टीपीएस	500	73.91	79.97	66.9
			पार्ली टीपीएस	1170	9.62	13.3	46.3
		महाराष्ट्र कुल		10580	51.1	53.42	55.32
	एसआर	आंध्र प्रदेश	दामोदर संजीव्याह टीपीएस	1600	61.99	41.59	5.65
			डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760	75.64	78.09	82.95
			रायलसीमा टीपीएस	1050	73.47	79.07	77.88
		आंध्र प्रदेश कुल		4410	70.17	67.01	77.74
		कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	1700	69.26	69.55	66.29
			रायचूर टीपीएस	1720	73.6	75.61	72.87
			येरमारस टीपीपी	800	0		
		कर्नाटक कुल		4220	72	73.38	70.45
		तमिलनाडु	एन्नोर टीपीएस	450	6.46	11.19	15.77
			मेट्टूर टीपीएस	1440	70.05	78.3	73.19
			नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	61.43	68.1	61.11
			तूतीकोरिन टीपीएस	1050	63.77	76.79	83.42
		तमिलनाडु कुल		4770	59.36	67.72	65.48
		तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	1100	63.29	72.96	93.75
			कोथागुडेम टीपीएस	720	61.03	70.1	70.21
			कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1000	71.97	75.55	83.69
			रामागुंडम-बी टीपीएस	62.5	81.21	72.75	35.32
		तेलंगाना कुल		4082.5	66.12	73.19	80.32
	ईआर	बिहार	बरौनी टीपीएस	210	3.64	0	0
		बिहार कुल		210	3.64	0	0
		झारखंड	टेनुघाट टीपीएस	420	37.99	71.47	64.7
		झारखंड कुल		420	37.99	71.47	64.7
		ओडिशा	आईबी वैली टीपीएस	420	84.88	84.5	76.07
		ओडिशा कुल		420	84.88	84.5	76.07
		पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	1050	77.02	72.31	87.09
			बंदेल टीपीएस	450	45.13	28.03	27.77
			डी.पी.एल. टीपीएस	880	27.78	21.68	19.14
			कोलाघाट टीपीएस	1260	57.31	52.1	65.22
			सागरदिघी टीपीएस	1100	71.17	51.52	78.09
			संतालडिह टीपीएस	500	43.2	42.95	40.12
		पश्चिम बंगाल कुल		5240	54.31	48.46	57.21
राज्य कुल				63520.5	53.70	55.41	59.83
निजी	एनआर	हरियाणा	महात्मा गांधी टीपीएस	1320	25.53	42.71	56.54

		हरियाणा कुल		1320	25.53	42.71	56.54
		पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540	5.82	0	0
			राजपुरा टीपीपी	1400	76.62	62.64	55.09
			तलवंडी साबो टीपीपी	1980	48.83	39.62	34.77
		पंजाब कुल		3920	53.64	55.26	49.53
		राजस्थान	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	70.9	76.06	77.71
			कवाई टीपीएस	1320	69.84	74.9	68.03
		राजस्थान कुल		2400	70.31	75.42	72.38
		उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	1200	82.65	81.95	79.34
			बरखेड़ा टीपीएस	90	60.44	43.05	71.28
			खांबरखेड़ा टीपीएस	90	59.97	40.58	66.92
			कुंदरकी टीपीएस	90	73.16	47.36	68.09
			ललितपुर टीपीएस	1980	32.89	0	0
			मकसूदपुर टीपीएस	90	65.74	39.54	66.92
			प्रयागराज टीपीपी	1320	42.77	17.99	0
			रोसा टीपीपी फेज-I	1200	80.78	66.97	81.73
			उतरौला टीपीएस	90	64.59	52.04	68.39
		उत्तर प्रदेश कुल		6150	62.98	68.74	78.61
	डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीएस	1200	58.81	60.41	38.51
			अवंथा भंडार	600	46.38	20.01	0
			बाल्को टीपीएस	600	57.19	72.83	0
			बंदाखार टीपीपी	300	40.56	0	0
			बारादरहा टीपीएस	1200	65.28	45.25	0.01
			चकाबुरा टीपीपी	30	92.33	91.47	84.89
			कसाईपल्ली टीपीपी	270	86.09	80.38	75.04
			कटघोरा टीपीपी	35	0	0	0
			नवापारा टीपीपी	300	37.64		
			ओपी जिंदल टीपीएस	1000	51.22	58.59	92.61
			पथाडी टीपीपी	600	83.02	56.63	42.61
			राईखेड़ा टीपीपी	1370	6.16	12.98	0
			रतीजा टीपीएस	100	68.12	62.08	61.4
			सलोरा टीपीपी	135	0	0	12.44
			एसवीपीएल टीपीपी	63	46.13	10.67	0
			स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	0	0	0
			तमनार टीपीपी	2400	29.1	27.86	21.94
			उचपिंडा टीपीपी	720	0	4.52	0
		छत्तीसगढ़ कुल		10948	44.39	41.75	40.53
		गुजरात	मुंद्रा टीपीएस	4620	74.43	81.3	74.93
			मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	73.74	73.09	75.85
			साबरमती (सी स्टेशन)	60	0	9.83	67.79
			साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362	86.27	75.52	88.19
			सलाया टीपीपी	1200	51.83	47.3	62.87
			सूरत लिग्ना. टीपीएस	500	70.98	70.08	74.58
		गुजरात कुल		10742	71.36	66.14	85.13
		मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी	1200	34.68	61.51	
			बीना टीपीएस	500	14.16	29.78	55.82
			महान टीपीपी	600	45.96	0	8.57
			निगरी टीपीपी	1320	65.81	0	0
			निवारी टीपीपी	45	59.75	35.91	85.53
			सासन यूएमटीपीपी	3960	82.09	90.84	65.21
			सियोनी टीपीपी	600	6.86	0	0
		मध्य प्रदेश कुल		8225	60.61	56.38	49.54

		महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1350	19.95	52.11	41.55
			बेला टीपीएस	270	0	0	0
			बुटीबोरी टीपीपी	600	76.9	76.47	69.34
			दहानु टीपीएस	500	84.45	87.09	91.26
			धारीवाल टीपीपी	600	29.23	7	9.94
			एमको वरौरा टीपीएस	600	66.97	76.02	68.78
			जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120	0	0	0
			जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200	70.8	79.64	72.68
			मिहान टीपीएस	246	0	0	0
			नासिक (पी) टीपीएस	270	0	0	0
			तिरौरा टीपीएस	3300	57.77	68.36	63.69
			ट्रॉम्बे टीपीएस	1400	42.79	44.15	39.63
			वर्धा वरौरा टीपीपी	540	30.15	39.16	24.79
		महाराष्ट्र कुल		10996	46.47	54.91	50.44
	SR	आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	1320	76.9	75.11	0
			एसजीपीएल टीपीपी	660	34.39		
			सिम्हापुरी टीपीएस	600	39.38	75.66	81.27
			थामिनापट्टनम टीपीएस	300	54.47	64.48	59.07
			विजाग टीपीपी	1040	33.63	37.21	0
		आंध्र प्रदेश कुल		3920	54.78	71.04	72.39
		कर्नाटक	टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260	69.69	95.66	97.85
			टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600	45.21	86.74	97.25
			उडुपी टीपीपी	1200	73.94	76.72	61.02
		कर्नाटक कुल		2060	65.03	82.03	76.22
		तमिलनाडु	आईटीसीएल टीपीपी	1200	39.64	0	0
			मुतहियारा टीपीपी	1200	39.18	0	0
			नैवेली टीपीएस (जेड)	250	48.84	67.25	83.48
			तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	1.19	30.37	54.34
		तमिलनाडु कुल		2950	36.25	47.14	67.59
	ईआर	झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	360	77.61	79.68	80.46
			महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540	71.06	61.68	46.77
			मैथॉन आरबी टीपीपी	1050	78.27	78.13	72.67
		झारखंड कुल		1950	76.15	73.86	66.94
		ओडिशा	देरांग टीपीपी	1200	66.92	59.23	0
			कमलंगा टीपीएस	1050	67.32	67.6	52.61
			स्टरलाईट टीपीपी	2400	40.85	38.31	39.15
			उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350	0	0	0
		ओडिशा कुल		5000	51.4	50.33	38.14
		पश्चिम बंगाल	बज बज टीपीएस	750	84.76	87.94	89.08
			चिनकबुरी टीपीएस	30	0	0	0
			हल्दिया टीपीपी	600	79.53	68.94	39.33
			न्यू कोसीपोर टीपीएस	0	0	0	4.92
			साउदर्न रिप. टीपीएस	135	41.49	44.8	83.73
			टीटागढ़ टीपीएस	240	14.7	31.49	80.11
		पश्चिम बंगाल कुल		1755	79.53	68.94	39.33
निजी कुल				72336	56.30	60.49	60.58
सकल योग				188371.5	59.64	62.29	64.46

*अनंतिम

** पतरातु टीपीएस 2014-15 तक राज्य क्षेत्र के अधीन था।

टिप्पणी: पीएलएफ की गणना यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा (सीओडी) के पश्चात की गई है।

****

अनुबंध-II

"संयंत्रभार क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 06 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (कोयला) का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	एलओए तारीख	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
		केंद्रीय क्षेत्र			
1	*असम*	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	फर.-08	यू-2	250
				यू-3	250
2	*बिहार*	बाढ़ एसटीपीपी-I/एनटीपीसी/अन्य	मार्च-05	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
3	*बिहार*	मुजफ्फरपुर टीपीपी (कांती) एक्सपें./एनटीपीसी और बीएसईबी का जेवी/भेल	अप्रैल-10	यू-4	195
4	*बिहार*	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का जेवी/भेल	जन.-08	यू-2	250
				यू-3	250
				यू-4	250
5	*बिहार*	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज, एसजी-भेल का जेवी	जन.-13	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
6	*छत्तीसगढ़*	लारा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-दूसन टीजी-बीजीआर हिटाची	दिसं.-12	यू-1	800
				यू-2	800
7	*झारखंड*	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	फर.-14	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
8	*कर्नाटक*	कुडगी एसटीपीपी फेज-I/एनटीपीसी/एसजी-दूसन टीजी-तोशीबा	फर.-12	यू-2	800
				यू-3	800
9	*महाराष्ट्र*	मौदा एसटीपीपी फेज-II/एनटीपीसी/भेल	अप्रैल-12	यू-4	660
10	*महाराष्ट्र*	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-बीजीआर और हिटाची टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज	अप्रैल-12	यू-1	660
				यू-2	660
11	*मध्य प्रदेश*	गदरवारा टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-भेल	मार्च-13	यू-1	800
				यू-2	800
12	*मध्य प्रदेश*	खरगोन टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-एलएंडटी	मार्च-15	यू-1	660
				यू-2	660
13	*ओडिशा*	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-जेएसडब्ल्यू और तोशीबा	फर.-14	यू-1	800
				यू-2	800
14	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-I/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज	फर.-16	यू-1	800
				यू-2	800
15	*तमिलनाडु*	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी/भेल	दिसं.-13	यू-1	500
				यू-2	500
16	*उत्तर प्रदेश*	ऊंचाहार-IV/एनटीपीसी/एनबीपीपीएल/भेल	अग.-13	यू-6	500
17	*उत्तर प्रदेश*	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी/एसजी-बीजीआर टीजी-तोशीबा	अप्रैल-12	यू-1	660
				यू-2	660
18	*उत्तर प्रदेश*	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी/एमएचपीएस बॉयलर प्रा. लि.	अग.-16	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
19	*उत्तर प्रदेश*	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजीःएलएंडटी/टीजीःएल्सटॉम	सितं.-14	यू-1	660
				यू-2	660
		कुल केंद्रीय क्षेत्र			**24805**

	राज्य क्षेत्र				
1	*आंध्र प्रदेश*	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V/एपजेंको/बीटीजी-भेल	अक्तू.-15	यू-1	800
2	*आंध्र प्रदेश*	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II/एपजेंको/बीटीजी-भेल	नवं.-15	यू-1	800
3	*आंध्र प्रदेश*	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV/एपजेंको/बीटीजी-भेल	अक्तू.-10	यू-6	600
5	*बिहार*	बरौनी टीपीएस एक्सटें./बीएसईबी/बीटीजी-भेल	मार्च-11	यू-8	250
				यू-9	250
6	*गुजरात*	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी/बीईसीएल/बीटीजी-भेल	मार्च-10	यू-2	250
7	*गुजरात*	वानकबोरी टीपीएस एक्सटें./जीएसईसीएल एसजी-एल्सटॉम टीजी-सीमेंस	अक्तू.-14	यू-8	800
8	*कर्नाटक*	येरमारस टीपीपी/केपीसीएल बीटीजी-भेल	अप्रैल-10	यू-2	800
10	*मध्य प्रदेश*	श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे.-II/एमपीजेंको बीटीजी-एलएंडटी	सितं.-14	यू-3	660
				यू-4	660
11	*ओडिशा*	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी-भेल	मार्च-14	यू-3	660
				यू-4	660
12	*राजस्थान*	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें./आरआरवीयूएनएल/एलएंडटी-एमएचआई	मार्च-13	यू-5	660
				यू-6	660
13	*राजस्थान*	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/आरआरवीयूएनएल/भेल	मई-13	यू-7	660
				यू-8	660
14	*तेलंगाना*	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII/टीएसजैंको बीटीजी-भेल	जन.-15	यू-1	800
15	*तेलंगाना*	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैंको/ भेल	मार्च-15	यू-1	270
				यू-2	270
				यू-3	270
				यू-4	270
16	*तमिलनाडु*	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टांजैडको बीटीजी-लैंको	मई-14	यू-1	660
17	*तमिलनाडु*	एन्नोर एससीटीपीपी/टांजैडको/भेल	सितं.-14	यू-1	660
				यू-2	660
18	*तमिलनाडु*	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III टांजैडको/भेल	जन.-16	यू-1	800
19	*तमिलनाडु*	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी टांजैडको/भेल	फर.-16	यू-1	800
				यू-2	800
20	*उत्तर प्रदेश*	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II/यूपीआरवीयूएनएल/तोशीबा जेएसडब्ल्यू	सितं.-15	यू-1	660
		कुल राज्य क्षेत्र			**16750**
		निजी क्षेत्र			
1	*आंध्र प्रदेश*	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	सितं.-09	यू-1	660
				यू-2	660
2	*आंध्र प्रदेश*	एसजीपीएल टीपीपी/सम्बकॉर्प गायत्री पावर लि. बीटीजी-चाइनीज	फर.-12	यू-2	660
3	*आंध्र प्रदेश*	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	दिसं.-09	यू-3	350
				यू-4	350
4	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीपी/जेआईसीपीएल बीटीजी-चाइनीज	मार्च-11	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
				यू-4	660
5	*छत्तीसगढ़*	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि./चाइनीज	अप्रैल-09	यू-3	600
				यू-4	600
				यू-5	600
				यू-6	600
6	*छत्तीसगढ़*	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-हरबिन चीन	मार्च-11	यू-1	300
				यू-2	300
				यू-3	300
				यू-4	300
7	*छत्तीसगढ़*	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II/लैप प्रा. लि. बीटीजी-डीईसी	नवं.-09	यू-3	660
				यू-4	660
8	*छत्तीसगढ़*	सिघीतराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. बीटीजी-डीईसीएल	दिसं.-09	यू-1	600
				यू-2	600

9	*छत्तीसगढ़*	नवापारा टीपीपी/टीआरएन एनर्जी प्रा. लि./चाइनीज	जन.-11	यू-2	300
10	*छत्तीसगढ़*	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि./एसजी-चीन वेस्टर्न टीजी-हरबिन चीन	जुलाई-07	यू-3	360
				यू-4	360
11	*छत्तीसगढ़*	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत/बीटीजी-सेथर वेसेल्स	सितं.-09	यू-2	135
12	*छत्तीसगढ़*	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि. बीटीजी-भेल	जून-10	यू-1	600
13	*झारखंड*	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	दिसं.-09	यू-1	270
				यू-2	270
14	*झारखंड*	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-II/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	मार्च-11	यू-3	270
				यू-4	270
15	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि. बीटीजी-चीन	अग.-08	यू-1	600
				यू-2	600
16	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.		यू-3	600
17	*महाराष्ट्र*	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	अक्तू.-10	यू-1	270
				यू-2	270
				यू-3	270
				यू-4	270
				यू-5	270
18	*महाराष्ट्र*	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि. ईपीसी-लैंको	नवं.-09	यू-1	660
				यू-2	660
19	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी फेज-I/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	नवं.-09	यू-2	270
				यू-3	270
				यू-4	270
				यू-5	270
20	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	नवं.-09	यू-1	270
				यू-2	270
				यू-3	270
				यू-4	270
				यू-5	270
21	*महाराष्ट्र*	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि./बीटीजी-चाइनीज	सितं.-11	यू-1	300
				यू-2	300
22	*महाराष्ट्र*	शीरपुर पावर प्रा. लि.	नवं.-11	यू-1	150
				यू-2	150
23	*मध्य प्रदेश*	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि./चाइनीज	सितं.-08	यू-2	600
24	*मध्य प्रदेश*	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	मार्च-11	यू-1	660
25	*मध्य प्रदेश*	निवारी टीपीपी/बीएलए पावर लि./भेल-सीमेंस	अप्रैल-11	यू-2	45
26	*ओडिशा*	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ/बीटीजी-सेथर वेसेल्स	मई-09	यू-2	350
27	*ओडिशा*	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल/बीटीजी-हरबिन चीन	नवं.-09	यू-1	350
				यू-2	350
				यू-3	350
28	*ओडिशा*	लैंको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि./बीटीजी-चाइनीज	नवं.-09	यू-1	660
				यू-2	660
29	*ओडिशा*	मलीब्राह्मणी टीपीपी/एमपीसीएल/बीटीजी-भेल	जून-10	यू-1	525
				यू-2	525
30	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/आईबीपीआईएल/बीटीजी-चाइनीज	मई-10	यू-1	660
31	*तमिलनाडु*	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/एसईपीसी/ईपीसी-एमईआईएल (बीटीजी-भेल)	जन.-14	यू-1	525
32	*उत्तर प्रदेश*	प्रयागराज (बारा) टीपीपी/पीपीजैंको/एसजी-भेल एल्सटॉम टीजी-भेल-सीमेंस	अक्तू.-09	यू-3	660
33	*पश्चिम बंगाल*	इंडिया पावर टीपीपी/हल्दिया एनर्जी लि./बीटीजी-भेल.	सितं.-10	यू-1	150
				यू-2	150
				यू-3	150
			कुल निजी क्षेत्र		**29445**
			सकल योग		**71000.00**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-15

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के माध्यम से
औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खरीद

***15. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) सहित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन राज्यों और राज्य विद्युत कंपनियों ने विद्युत हेतु सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) की शुरुआत की है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के माध्यम से सर्वाधिक विद्युत की खरीद करने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के माध्यम से विद्युत की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के माध्यम से औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खरीद" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी, हाँ। विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्बाध पहुँच सहित स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का प्रावधान है। धारा 7 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लाइसेंस के बिना कैप्टिव उत्पादन की अनुमति दी गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(47) में *पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली सहित " धारी या उपभोक्ता या समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनसहयुक्त सुविधाओं के किसी अनुज्ञप्तियिमों के अनुसार उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था"* के रूप में निर्बाध पहुँच को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के संवर्द्धन के लिए व्यापार सहित विद्युत बाजार विकसित करने के लिए समुचित आयोग को अधिकार देती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुपालन में भी संघ सरकार ने प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए डिस्कॉमों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ख) : अंतर्राज्यीय स्तर पर निर्बाध पहुँच का कार्यान्वयन संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) का उत्तरदायित्व है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार समुचित आयोग पारेषण और वितरण में निर्बाध पहुँच के बारे में संबंधित विनियम बनाता है। विनियामक मंच (एफओआर) सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) ने निर्बाध पहुँच के संबंध में विनियम बनाए हैं।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा विगत 2 वर्षों अर्थात् 2014-15 और 2015-16 के दौरान इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) से डे अहेड मार्केट में खरीदी गई कुल विद्युत क्रमश: 12.526 बिलियन यूनिट और 20.362 बिलियन यूनिट है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल से प्राप्त तथा सीईए द्वारा संकलित राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : सीईए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दो क्षेत्रों-धातु और टेक्सटाईल क्षेत्रों ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान संयुक्त रूप से औद्योगिक क्षेत्र द्वारा निर्बाध पहुँच रूट के जरिए खरीदी गई कुल विद्युत की क्रमश: 56% और 58% विद्युत खरीदी है।

(ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। निर्बाध पहुँच को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी की है। तथापि, विद्युत मंत्रालय, विद्युत क्षेत्र में निर्बाध पहुँच सहित स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा प्रदान करने के लिए विनियमों के सक्षमीकरण हेतु उपयुक्त परिवेश सृजित करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति के अंतर्गत विभिन्न नीतियों के जरिए सुविधा प्रदान करता है।

****

अनुबंध

"सभी के लिए समान अवसर (ओपन एक्सेस) के माध्यम से औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खरीद" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

डे अहैड आधार पर निर्बाध पहुँच के माध्यम से पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत का ब्यौरा (आईईएक्स आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/निकाय	**वित्तीय वर्ष 2015-16 (मिलियन यूनिट में)**	**वित्तीय वर्ष 2014-15 (मिलियन यूनिट में)**
राजस्थान	5,218	2,903
गुजरात	2,784	1,841
हरियाणा	1,998	1,062
कर्नाटक	1,221	414
तेलंगाना	1,051	468
दादर व नागर हवेली	791	26
एस्सार स्टील	2,261	1,976
पंजाब	1,993	746
आंध्र प्रदेश	319	831
मध्य प्रदेश	432	660
दमन व दीव	423	343
केरल	145	5
ओडिशा	270	17
उत्तराखंड	276	181
असम	154	30
हिमाचल प्रदेश	277	51
तमिलनाडु	338	311
मेघालय	205	147
दिल्ली	4	-
महाराष्ट्र	14	-
पुडुचेरी	-	-
अरुणाचल प्रदेश	50	65
क्षेत्रीय निकाय	59	307
बिहार	-	-
डीवीसी	-	-
गोवा	-	1
कुल	**20,283**	**12,384**

डे अहैड आधार पर निर्बाध पहुँच के माध्यम से पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत का ब्यौरा (पीएक्सआईएल आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/निकाय	**वित्तीय वर्ष 2014-15 (एमयू)**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 (एमयू)**
गुजरात	122.64	63.60
राजस्थान	16.87	14.55
हरियाणा	1.68	0.02
पंजाब	0.57	0.61
दमन	0.12	0
सकल योग	**141.89**	**78.78**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-16

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

***16. श्री जगदम्बिका पालः**

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में यथाकल्पित राष्ट्रीय विद्युत नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कोई नई विद्युत नीति बनायी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विद्युत अधिनियम, 2003 के परिणामों की समीक्षा करने का विचार है;

(घ) क्या इस अधिनियम ने जनता को नुकसान पहुंचाते हुए निजी विद्युत कंपनियों को लाभ पहुंचाया है और सरकार को राजस्व में घाटा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"राष्ट्रीय विद्युत नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 16 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुपालन में दिनांक 12.02.2005 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध करवाना और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए उपलब्ध तकनीक, विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन की अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों के हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नवत हैं:

(i) विद्युतीकृत गाँवों की संख्या दिनांक 31.03.2007 को 4,82,864 से बढ़कर दिनांक 31.12.2016 को 5,90,488 हो गई है जो भारत के कुल गाँवों के 98.09% हैं।

(ii) संस्थापित क्षमता दिनांक 31.03.2017 को 132329 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2016 को 310005 मेगावाट हो गई है।

(iii) ऊर्जा और व्यस्ततम माँग कमी वर्ष 2006-07 के लिए जो क्रमश: 9.6% और 13.8% थी वह वर्ष 2015-16 के लिए घटकर क्रमश: 2.1% और 3.2% हो गई है। अप्रैल-दिसंबर, 2016 की अवधि के लिए तद्नुरूपी आँकड़े (अनंतिम) क्रमश: 0.7% और 1.6% है।

(iv) प्रति व्यक्ति विद्युत खपत दिनांक 31.07.2007 को 671.9 केडबल्यूएच से बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को 1075 केडब्ल्यूएच हो गई है।

(v) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार एवं हानि विनियम, 2010 की साझेदारी अधिसूचित किए है जो राष्ट्रीय विद्युत नीति में की गई इस अपेक्षा के अनुसार है कि प्रशुल्क तंत्र दूरी, दिशा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और प्रवाह की मात्रा से संबंधित होना चाहिए।

(vi) विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से लेन-देन की गई विद्युत की मात्रा, जो 2008-09 के दौरान 2.77 बिलियन यूनिट (बीयू) थी, 2015-16 के दौरान बढ़कर 35.01 बीयू तक हो गई।

(vii) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 45,915 मेगावाट के स्तर तक पहुँच गई है।

(ख) : 12वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह ने विद्युत अधिनियम, 2003 और प्रशुल्क नीति संबंधी सिफारिशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय विद्युत नीति में संशोधन के लिए सिफारिश की थी। राष्ट्रीय विद्युत नीति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय विद्युत नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन में कई वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया था कि यद्यपि उत्पादन क्षमता की वृद्धि, राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना, बहुस्तरीय विनियामक ढांचा,

निजी क्षेत्र भागीदारी, विद्युत बाजारों और एक्सचेंजों का विकास तथा इसके साथ ही साथ राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धियां रही हैं। तथापि, राज्यों द्वारा प्रबंधित वितरण क्षेत्र अभी भी विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी है। ग्रिड अननुशासन, विनियामक दायित्व, अधिक नवीकरणीय प्रवेश के लिए नीति ढांचा, वितरण क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता लाना और उपभोक्ताओं को विकल्प देना आदि जैसे अन्य मुद्दे भी रहे हैं जिनके लिए यह महसूस किया गया था कि अधिनियम के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप कुछ प्रावधानों की समीक्षा एवं संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी समूह की सिफारिशों तथा विभिन्न पणधारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 19.12.2014 को लोक सभा में लाया गया था। इसके पश्चात् इस विधेयक को जाँच एवं रिपोर्ट के लिए ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने दिनांक 07.05.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन संशोधनों में खुदरा (अर्थात् खुदरा आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु उपभोक्ताओं को विकल्प), नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के सख्त प्रवर्तन तथा ग्रिड रक्षा एवं सुरक्षा पर शून्य सहनशीलता में प्रतिस्पर्द्धा निहित है।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य पणधारियों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर विद्युत मंत्रालय विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में शासकीय संशोधन लाने के कार्य में तेजी ला रहा है।

(घ) और (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों में निजी वितरण कंपनियों और राज्य वितरण कंपनियों दोनों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रापण प्रक्रिया, वार्षिक राजस्व माँग और सभी वितरण कंपनियों, चाहे वे सार्वजनिक स्वामित्व वाली हों या निजी स्वामित्व वाली, के लिए प्रशुल्क का विनियमन राज्य आयोगों द्वारा किया जाता है जोकि जन सुनवाई के पश्चात् आदेश जारी करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-29

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

पाकिस्तान को प्रदान की गई विद्युत

29. श्री चिन्तामन नावाशा वांगाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत पाकिस्तान को विद्युत प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस देश को कब से विद्युत प्रदान की जा रही है और उससे कितना राजस्व अर्जित हुआ है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में, भारत और पाकिस्तान के बीच बिजली का कोई लेन-देन नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-42

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

मध्य प्रदेश में एपीडीआरपी का कार्यान्वयन

42. श्री लक्ष्मी नारायण यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और विगत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्य कौन-से हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) विगत 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन है।

83 शहरों के आईटी सक्षमीकरण तथा 81 शहरों में वितरण सुदृढ़ीकरण कार्य को शामिल करते हुए परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। 5 शहरों के लिए पर्यवेक्षक नियंत्रण और आंकड़ा अभिग्रहण स्काडा परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। विगत 3 वर्षों (2013-14 से 2015-16) के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति नीचे दी गई है:

विवरण	वास्तविक प्रगति	वित्तीय प्रगति
आईटी सक्षमीकरण परियोजनाएं	38 शहर गो-लिव घोषित	भारत सरकार के 67.71 करोड़ रुपये की निधि जारी की है।
वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं	55 शहरों में वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं पूरी कर ली गई है।	
स्काडा परियोजनाएं	5 शहरों में स्काडा नियंत्रण केंद्र पूर्ण।	

(ग) और (घ) : वितरण सुदृढ़ीकरण कार्य 7 शहरों में पूरे किए जाने हैं। परियोजनाओं ने एजेंसियों की नियुक्ति में देरी, सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के दौरान जाँच में देरी आदि सहित कुछ चुनौतियों का सामना किया।

(ङ) : भारत सरकार सचिवों और राज्य यूटिलिटियों के प्रबंध निदेशकों, पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के साथ बैठकों के साथ-साथ निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न स्तरों पर प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-46

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

उदय

46. श्री पी. नागराजनः

श्रीमती रमा देवीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) विद्युत योजना प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्कीम के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या अनेक राज्य उदय में शामिल हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बिहार सहित राज्य-वार उदय स्कीम के अंतर्गत किए गए/प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाने के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) की शुरूआत की थी। उदय का उद्देश्य ब्याज के भार, विद्युत की लागत और एटीएंडसी हानियों को कम करना है। इस स्कीम में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा वसूल किया गया औसत राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को कम करने की अपेक्षा भी की गई है।

इस स्कीम में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा से डिस्कॉम के ऋण को राज्य द्वारा लेने की छूट घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति, कोयला लिंकेज का यौक्तिकीकरण, अदक्ष से दक्ष संयंत्रों तक कोयले के स्वैप की अनुमति; अधिसूचित कीमतों पर राज्यों को कोयला लिंकेजों के आबंटन तथा विद्युत मंत्रालय (एमओपी) तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), यदि वे स्कीम में प्रचालनात्मक लक्ष्यों को पूरा करते हों, की स्कीमों में अतिरिक्त प्राथमिकता/वित्तपोषण द्वारा राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है।

(ख) और (ग) : दिनांक 27.1.2017 तक की स्थिति के अनुसार, बीस राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा एक संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा 1,83,084.29 करोड़ रूपए मूल्य के बॉंड जारी किए गए हैं जिसमें ब्याज की लागत कम हुई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-60

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

जम्मू और कश्मीर में पन विद्युत परियोजनाएं

60. श्री नाना पटोलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में चल रही पन विद्युत परियोजनाओं संबंधी कार्य में गति लाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना और इनकी क्षमता-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में और कोई नई परियोजना प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान में कुल 1265.50 मेगावाट की 4 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन हैं। परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की निगरानी करता है। प्रत्येक परियोजना की प्रगति की स्थल दौरों, विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ बातचीत के जरिए सतत रूप से निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) और सीईए के निगरानी प्रभागों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

- विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्वतंत्र रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है और जल विद्युत परियजोनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

- विद्युत मंत्रालय भी सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ चालू जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

(ग) : 2002-03 के बाद जम्मू और कश्मीर में कुल 5043 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 6 जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर को सीईए द्वारा सहमति दी गई है और विभिन्न कारणों की वजह से अभी निर्माण शुरू किया जाना है। विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	**स्कीम**	**क्षेत्र**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**सीईए की सहमति/मूल्यांकन की तारीख**
1.	पकलदुल	संयुक्त उद्यम	1000	03.10.2006
2.	न्यू गंदरवाल	राज्य	93	10.06.2014
3.	किरू	संयुक्त उद्यम	624	13.06.2016
4.	क्वार	संयुक्त उद्यम	540	15.11.2016
5.	स्वालकोट	राज्य	1856	27.12.2016
6.	किरथई-II	राज्य	930	27.12.2016
	कुल		**5043**	

इसके अतिरिक्त, एक बहु-उद्देश्यीय/राष्ट्रीय परियोजना अर्थात बुरसर एचईपी (800 मेगावाट) की डीपीआर एनएचपीसी द्वारा तैयार की गई है और जनवरी, 2017 में सीईए को प्रस्तुत की गई है जिसे आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु सीडब्ल्यूसी को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 84 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की एक एचई परियोजना अर्थात सुतकारी कुलान सर्वेक्षण और जांचाधीन है।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	**स्कीम का नाम (निष्पादक एजेंसी)**	**क्षेत्र**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**निष्पादनाधीन क्षमता**	**वर्तमान स्थिति**
1	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	परियोजना पूरा करने के अग्रिम चरण में है और कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य होने के अध्यधीन लगभग 10 माह में पूरा किए जाने की संभावना है।
2	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	11 जुलाई, 2014 के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। विकासकर्ता ने पीपीए को शीघ्र समाप्त करने और परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध किया गया है।
3	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है।
4	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है। संविदाकार के पास वित्तीय कठिनाई होने के कारण निर्माण कार्य बंद पड़ा है। संविदाकार मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सीडीआर में चला गया है। जेकेएसपीडीसी परियोजना पुनः शुरू करने के तरीकों को पता लगा रहा है।
	कुल:			**1265.50**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-72

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

72. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) की बहुलता वाले कई गांवों में अब भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति बहुल कई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा न होने के कारण बिहार के औरंगाबाद जिले में लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किए जाने की हाल की घटना से सरकार अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार को उक्त ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना में मौजूदा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में अनुसूचित जाति बहुल गाँवों सहित 2,747 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे। 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार इनमें से 2,126 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) : बिहार सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय को इस प्रकार की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) : इस मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

ईईएसएल द्वारा ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन

81. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री धनंजय महाडीकः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री राजीव सातवः
डॉ. जे. जयवर्धनः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत वरण महतोः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
कुँवर हरिवंश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) बैंकों और मोबाइल वैलेट कंपनियों से बात करके उपभोक्ताओं को शून्य प्रत्यक्ष भुगतान पर पुराने एअर-कंडीशनरों की जगह बाजार में उपलब्ध नए ऊर्जादक्ष एअर कंडीशनर दिलाने का प्रयास कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईईएसएल अतिदक्ष एअर कंडीशनर बनाने के लिए विनिर्माताओं से बातचीत भी कर रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर एअर कंडीशनर विनिर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ईईएसएल ने इस कार्यक्रम के लिए धन जुटाने की व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईईएसएल का उक्त एयर कंडीशनर उपभोक्ताओं को ईएमआई योजनांतर्गत वितरित कराने की व्यवस्था करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऊर्जादक्ष विद्युत उपकरणों को प्रचालित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : जी, हाँ। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने एयर कंडीशनर विनिर्माताओं के साथ अतिदक्ष एयर कंडीशनरों की तकनीकी विशिष्टताओं की चर्चा की है। सात विनिर्माताओं अर्थात् वोल्टास, ब्लू स्टार,

गोदरेज, डैकिन, व्हर्लपुल, पैनासोनिक और अम्बर ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा जताई है।

एसी कार्यक्रम को इक्विटी के माध्यम से और ऋण जुटाकर तथा उपलब्ध लाइंस ऑफ क्रेडिट का उपयोग करके ईईएसएल द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

आरंभ में, पहले चरण में कार्यक्रम का लक्ष्य बैंकों, एटीएम और सरकारी भवनों आदि जैसे संस्थानों में वर्तमान एयर कंडीशनरों को अतिदक्ष एयर कंडीशनरों में बदलने का होगा।

(ङ) : सरकार ने संपूर्ण देश में ऊर्जा दक्ष उपस्करों/उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 केंद्र सरकार को मानकीकरण एवं लेबलीकरण (एसएंडएल) कार्यक्रम का विकास करने के लिए अधिकार देती है जिसे औपचारिक रूप से दिनांक 18 मई, 2006 को शुरू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) उपस्करों के लिए ऊर्जा निष्पादन मानकों को परिभाषित करता है जो प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इसको अपनाने को प्रोत्साहित करता है और सुगम बनाता है।

मानकीकरण एवं लेबलीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 8 उपस्करों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल को अनिवार्य किया था और इसमें स्वैच्छिक लेबलीकरण के अंतर्गत 13 उपस्कर शामिल हैं। उपस्करों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, ईईएसएल सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों के प्रोत्साहन के लिए एलईडी कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त ईईएसएल ऊर्जा दक्ष पंखों और कृषि पंप सेटों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्र.सं.	मानकीकरण एवं लेवलीकरण स्कीम के अंतर्गत उपस्कर
	अनिवार्य उपस्कर
1.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर
2.	रूम एयर कंडीशनर (विंडो तथा 1:1 हाई वॉल स्प्लिट)
3.	ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैंप
4.	डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर
5.	रूम एयर कंडीशनर (सीलिंग माउंटेड तथा फ्लोर स्टैंडिंग)
6.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर
7.	कलर टेलीविजन
8.	इलेक्ट्रिक वाटर गीजर
	ऐच्छिक उपस्कर
9.	एलपीजी स्टोव
10.	जनरल पर्पज मोटर
11.	सीलिंग फैन
12.	पंप सेट
13.	वाशिंग मशीन
14.	लैपटॉप कंप्यूटर
15.	बैलास्ट
16.	सॉलिड स्टेट इंवर्टर
17.	डीजल पंप
18.	डीजल जेनरेटर
19.	ऑफिस इक्विपमेंट
20.	वैरिएबल कैपसिटी (इंवर्टर) एयर कंडीशनर
21.	एलईडी बल्ब

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-88

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

उपभोक्ताओं को विद्युत राजसहायता पर विशेषज्ञा पैनल

88. श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री सुधीर गुप्ताः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
कुँवर हरिवंश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं हेतु प्रत्यक्ष राजसहायता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल की संरचना क्या है;

(ग) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी, नहीं। विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने का अध्ययन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई विशेषज्ञ पैनल गठित नहीं किया गया है।

वितरण कंपनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 में उल्लिखित सिद्धांतों तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 तथा प्रशुल्क नीति के खंड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें जितना उपयुक्त समझें उस सीमा तक, सब्सिडी दे सकती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-114

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

गर्व-II एप

114. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री विद्युत वरण महतोः
कुँवर हरिवंश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण संबधी वास्तविक आंकड़े प्रदान करने हेतु गर्व-II एप का नया संस्करण आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस एप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या गर्व-II एप का नया संस्करण गर्व के पूर्व संस्करण से भिन्न है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एप ने सभी परिवारों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है क्योंकि सरकार पहले ही गांवों का विद्युतीकरण कर चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, हाँ। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने गर्व एप का अद्यतन वर्जन शुरू किया है। घरों और वासस्थलों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त निगरानी तंत्र को मौजूदा प्लेटफार्म में जोड़ा गया है। यह ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करता है। ग्रामीण विद्युतीकरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों से संबंधित सूचना इस मंत्रालय तथा कार्यान्वयन एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/डिस्कॉमों को सारी धनराशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए जारी की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-149

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत उत्पादन

149. श्री रामसिंह राठवाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में उर्वरक क्षेत्र की तर्ज पर 9500 मेगावाट गैस आधारित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (80 प्रतिशत स्तर पर) में सहयोग प्रदान करने हेतु गुजरात सरकार की ओर से गैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है क्योंकि गैस आधारित अधिष्ठापित क्षमता 22962 मेगावाट है और प्रचालन क्षमता केवल लगभग 6000 मेगावाट है;

(ग) क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा हेतु गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अप्रयुक्त गैस क्षमता का उपयोग करने पर गंभीर रूप से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) क्या गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में निवेश के लिए राज्य/निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कोई राजसहायता प्रदान करने की भी योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : जी हां, भारत सरकार ने पूर्व में रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लक्षित संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) तक स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के आयात के लिए स्कीम का मंजरी दी है। इस स्कीम में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम में इस उद्देश्य के लिए अपात की जा रही इंक्रीमेंटल आरएलएनजी पर लागू करों और लेवियों/शुल्कों से छूट द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले परित्याग की परिकल्पना की गई है। अब तक ई-बोली आरएलएनजी नीलामी के 3 चरण पूरे हो गए हैं और वर्तमान में चौथा चरण दिनांक 1 अक्तूबर, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक प्रचालनाधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-157

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

157. श्री ओम बिरलाः
श्री चंदूलाल साहूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण के भाग के तौर पर कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत लाभांवित अजा और अजजा परिवारों का राज्य-वार, विशेषरूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ब्यौरा क्या है; और

(ग) छत्तीसगढ़ और राजस्थान हेतु विद्युत क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये गये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। तथापि, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) द्वारा राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम शुरू किया है जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उजाला कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लाभार्थियों को शामिल किया गया है जबकि एसएलएनपी को केवल शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ईईएसएल ने एक अभिनव व्यापार माडल विकसित किया है जिसमें इन कार्यक्रमों में संपूर्ण निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है और ऊर्जा बचत से एक समय पश्चात निवेश की चुकौती की जाती है। इस स्कीम में भारत सरकार सब्सिडी का कोई तत्व नहीं है।

(ख) : दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत एससी/एसटी घरों सहित 2.53 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) : छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए विद्युत क्षेत्र में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य के लिए क्रमशः 1522.77 करोड़ रूपए और 2819.37 करोड़ रूपए की कुल लागत की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ii) राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)-ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत 406.37 करोड़ रूपए की कुल पात्र ऋण राशि की छत्तीसगढ़ की छः परियोजनाओं और 2154.36 करोड़ रूपए की कुल पात्र ऋण राशि की राजस्थान 59 परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

(iii) समाहित की गई पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) सहित एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए क्रमशः 1365.26 करोड़ रूपए और 3422.78 करोड़ रूपए लागत की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(iv) वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य पदनामित एजेंसी (एसडीए) की संस्थागत क्षमता को सुदृढ करने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एसडीए को क्रमशः 4.435 करोड़ रूपए और 3.834 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया है।

(v) राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) स्कीम के लिए अंशदान के अंतर्गत राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रत्येक को 4.00 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए गए हैं।

(vi) राजस्थान सरकार ने नगरपालिका की उप-विधि में इसके निगमीकरण के समय स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) अधिसूचित की हैं।

(vii) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। दिनांक 25/01/2017 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 1.2 करोड़ और 64 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा राजस्थान में 5.9 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-200

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

डीडीजी के अंतर्गत निधियों का आवंटन

200. श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं और डी.डी.जी. के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) अविद्युतीकृत गांवों/पर्यावासों, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या वहनीय नहीं है, में विद्युत प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत डी.डी.जी. को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विद्युतीकरण के लिए डीडीजी के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए गाँवों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार यदि ग्रिड की विद्युत पाँच वर्ष से पूर्व गाँव में पहुँच जाती है तो जब भी आवश्यकता हो, डीडीजी परियोजना से उत्पादित विद्युत ग्रिड को निर्यात और ग्रिड से आयात की जा सकती है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीजी के अंतर्गत परियोजनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	यूईवी/वासस्थल	संवितरित निधि (रुपए लाख में)
2013-2014 में संस्वीकृतस परियोजनाएं				
1	आंध्र प्रदेश	205	205	4918.13
2	छत्तीसगढ़	87	87	2431
4	कर्नाटक	37	43	2749.86
5	केरल	15	15	531.83
6	मेघालय	3	3	389.4
7	ओडिशा	7	7	197
	कुल	**354**	**360**	**11217.22**
2014-2015 में संस्वीकृत परियोजनाएं				
शून्य				
2015-2016 में संस्वीकृत परियोजनाएं				
1	आंध्र प्रदेश	165	165	2209.39
2	असम	521	521	29480.84
3	अरुणाचल प्रदेश	1000	1000	11748.45
4	छत्तीसगढ़	523	161	17794.96
5	झारखंड	305	316	14719
6	कर्नाटक	2	3	61.5
7	मध्य प्रदेश	122	210	5877.65
8	मेघालय	77	77	823
9	ओडिशा	190	193	5675.69
	कुल	**2905**	**2646**	**88390.48**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीजी के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या		
		15.01.2017 की स्थिति के अनुसार
क्रम सं.	**राज्य**	**कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांव**
1	असम	521
2	अरुणाचल प्रदेश	1176
3	छत्तीसगढ़	520
4	झारखंड	393
5	कर्नाटक	9
6	मध्य प्रदेश	147
7	मेघालय	212
8	ओडिशा	275
9	उत्तर प्रदेश	17
10	उत्तराखंड	15
कुल		**3285**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-209

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

ट्रेडिंग लाइसेंस वापस करना

209. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रदान किए गए 35 ट्रेडिंग लाइसेन्सों को वापस कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 40 ट्रेडिंग लाइसेंस अभ्यर्पित/रद्द किए गए हैं। इन लाइसेंसों में से 20 ट्रेडिंग लाइसेंस ट्रेडिंग लाइसेंसियों द्वारा अभ्यर्पित किए गए हैं और 20 लाइसेंस आयोग द्वारा रद्द किए गए हैं। अभ्यर्पित ट्रेडिंग लाइसेंसों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। अभ्यर्पण के लिए अपने आवेदन में लाइसेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे मौजूदा बाजार स्थितियों आदि के कारण विद्युत में व्यापार करने में सक्षम नहीं हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अपना ट्रेडिंग लाइसेंस अभ्यर्पित करने वाले लाइसेंसियों का ब्यौरा

क्रम सं.	**याचिका सं.**	**अंतर-राज्य ट्रेडिंग लाइसेंसी का नाम**
1.	037/2004	एमएमटीसी लिमिटेड
2.	21/2004	डीएलएफ पावर लिमिटेड
3.	66/2004	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
4.	28/2004	शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
5.	46/2004	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड
6.	98/2006	बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
7.	76/2006	मैक्समी एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
8.	74/2007	पटनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	124/2007	वंदना ग्लोबल लिमिटेड
10.	13/2008	अलबीना पावर ट्रेडिंग लिमिटेड
11.	16/2008	इंडियाबुल्स पावर जेनरेशन लिमिटेड
12.	05/2008	बेसिस प्वाइंट कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
13.	71/2008	रिघिल इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड
14.	25/2009	गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड
15.	12/2010	एबेलोन क्लीन एनर्जी लिमिटेड
16.	281/2010	जय पॉलीकेम (इंडिया) लिमिटेड
17.	322/2009	बीएस ट्रांसकॉम लिमिटेड
18.	23/टीडीएल/2011	कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड
19	161/टीडीएल/2011	गीता पावर ट्रेडिंग लिमिटेड
20.	80/टीडीएल/2013	राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-218

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

उत्तरी कर्णपुरा सुपर तापविद्युत स्टेशन

218. श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनटीपीसी की निर्माणाधीन विद्युत-परियोजनाओं की स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उत्तरी कर्णपुरा सुपर तापविद्युत स्टेशन सहित अन्य निर्माणाधीन एनटीपीसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एनटीपीसी को झारखंड के चतरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव/मांग के संबंध में एनटीपीसी और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार परियोजना निगरानी ग्रुप (पीएमजी) तथा सरकार की नई सूचना तकनीक आधारित निवारण निगरानी प्रणाली, प्रगति (अग्रसक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा के भाग के रूप में समय-समय पर एनटीपीसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा भी की जाती है। एनटीपीसी (संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित) की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ) : झारखण्ड में चतरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए झारखण्ड सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चतरा (झारखण्ड) के माननीय संसद सदस्य तथा सिमरिया (झारखण्ड) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार, एनटीपीसी 600 करोड़ रूपए की दो प्रमुख परियोजनाओं अर्थात (i) इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना और (ii) पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आरएंडआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा परियोजना निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का कार्यान्वयन कर रही है। इन कार्यों की प्रगति की निगरानी झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन एनटीपीसी की परियोजनाओं की स्थिति (जेवी और अधीनस्थ सहित)

क्रम सं.	परियोजना/यूनिट (क्षमता मेगावाट)	राज्य	क्षमता मेगावाट	ईंधन	परियोजना चालू करने का लक्ष्य	स्थिति
एनटीपीसी की परियोजनाएं						
1.	बोंगाईगांव (3x250 मेगावाट)	असम	500	कोयला	2017-18	• यूनिट#1 (250 मेगावाट) जून, 2015 में चालू की गई। • शेष दो यूनिटों के लिए निर्माण प्रगति पर है।
2.	बाढ़-I (3x660 मेगावाट)	बिहार	1980	कोयला	2018-19	• निर्माण प्रगति पर है।
3.	लारा-I (2x800 मेगावाट)	छत्तसीगढ़	1600	कोयला	2017-18	• निर्माण प्रगति पर है।
4.	रोजमल (1x50 मेगावाट)	गुजरात	50	पवन	2017-18	• निर्माण प्रगति पर है।
5.	नॉर्थ कर्णपुरा (3x660 मेगावाट)	झारखंड	1980	कोयला	2019-20	• निर्माण प्रगति पर है।
6.	कुडगी (3x800 मेगावाट)	कर्नाटक	1600	कोयला	2017-18	• यूनिट#1 (800 मेगावाट) दिसंबर, 2016 में चालू की गई। • शेष दो यूनिटों के लिए निर्माण प्रगति पर है।
7.	मौदा-II (2x660 मेगावाट)	महाराष्ट्र	660	कोयला	2016-17	• एक यूनिट (660 मेगावाट) मार्च, 2016 में चालू की गई। • दूसरी यूनिट के लिए निर्माण प्रगति पर है।
8.	सोलापुर (2x660 मेगावाट)	महाराष्ट्र	1320	कोयला	2017-18	• निर्माण प्रगति पर है।
9.	गदरवारा-I (2x800 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	1600	कोयला	2017-18	• निर्माण प्रगति पर है।
10.	खरगोन (2x660 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	1320	कोयला	2019-20	• निर्माण प्रगति पर है।
11.	मंदसौर (5x50 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	250	सौर	2016-17	• निर्माण प्रगति पर है।
12.	दार्लीपल्ली-I (2x800 मेगावाट)	ओडिशा	1600	कोयला	2018-19	• निर्माण प्रगति पर है।
13.	भदला (4x65 मेगावाट)	राजस्थान	260	सौर	2016-17	• निर्माण प्रगति पर है।

14.	तेलंगाना (2x800 मेगावाट)	तेलंगाना	1600	कोयला	2020-21	• निर्माण प्रगति पर है।
15.	ऊंचाहार-IV (1x500 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	500	कोयला	2016-17	• निर्माण प्रगति पर है।
16.	टांडा-II (2x660 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	1320	कोयला	2018-19	• निर्माण प्रगति पर है।
17.	लता तपोवन एचईपीपी (3x57 मेगावाट)	उत्तराखंड	171	हाइड्रो	लक्ष्य कार्य पुनः शुरू होने के बाद निर्धारित होगा।	• माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश द्वारा लता तपोवन एचईपीपी में 08.05.2014 से सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं।
18.	तपोवन विष्णुगाड एचईपीपी (4x130 मेगावाट)	उत्तराखंड	520	हाइड्रो	2019-20	• निर्माण प्रगति पर है।
19.	सिंगरौली हाइड्रो एचईपीपी (2x4 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	8	हाइड्रो	2016-17	• निर्माण प्रगति पर है।
20.	रम्माम (3x40 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	120	हाइड्रो	2019-20	• निर्माण प्रगति पर है।
जेवी और अधीनस्थ						
21.	बीएसपीजीसीएल के साथ एनपीजीसीपीएल नबीनगर जेवी (3x660 मेगावाट)	बिहार	1980	कोयला	2018-19	निर्माण प्रगति पर है।
22.	रेलवे के साथ बीआरबीसीएल नबीनगर जेवी (4x250 मेगावाट)	बिहार	750	कोयला	2017-18	• यूनिट#1 (250 मेगावाट) मार्च, 2016 में चालू की गई। • शेष तीन यूनिटों के लिए निर्माण प्रगति पर है।
23.	यूपीआरवीयूएनएल के साथ एमयूएनएल मेजा जेवी (2x660 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	1320	कोयला	2017-18	• निर्माण प्रगति पर है।
24.	सेल के साथ राऊरकेली एनएसपीसीएल जेवी (1x250 मेगावाट)	ओडिशा	250	कोयला	2018-19	• निर्माण प्रगति पर है।
25.	सेल के साथ दुर्गापुर एनएसपीसीएल जेवी (2x20 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल	40	कोयला	2018-19	• निर्माण प्रगति पर है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-223

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

हरित भवन प्रबंधन परियोजना

223. श्री पी. आर. सेनथिलनाथनः

श्री पी. आर. सुन्दरमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग तथा वित्तपोषण से हरित भवन तथा भवन प्रबंधन की शुरुआत के लिए कोई संभाव्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में एलईडी प्रकाश की अत्याधुनिक तकनीक तथा ऊर्जा बचत की तकनीक पर आधारित भवन प्रबंधन समाधान की शुरुआत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित परियोजनाओं की सूची क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकारपोरेशन (जीबीसीआई) जोकि हरित निर्माण रेटिंग एजेंसी है, के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों पक्षकारों ने ईसीबीसी के साथ बराबरी के लिए ईडीजीई (उच्च दक्षताओं के लिए डिजाइन में उत्कृष्टता) जैसे उपकरणें का उपयोग करते हुए व्यापक निर्माण ऊर्जा दक्षता के वैधीकरण के लिए ऊर्जा में नेतृत्व तथा पर्यावरणीय डिजाइन (लीज) व्यावसायियों तथा ईसीबीस (ऊर्जा संरक्षण भवन कोड) विशेषज्ञों के प्रत्यय पत्रों को कौशलयुक्त बनाने जैसे कार्यों पर संयुक्त रूप से अपनी सहमति दी है।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सेल्फ-ब्लास्ट ओमनी डायरेक्शनल एलईडी बल्बों के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने नए वाणिज्यिक भवनों के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधारों के लिए ईसीबीसी भी तैयार किया है जिसमें ऊर्जा संसाधनों की प्रभावी निगरानी एवं उपयोग के लिए भवन प्रबंधन समाधान शामिल हैं। भवन ऊर्जा दक्षता परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है जिसमें भवन प्रबंधन समाधान के माध्यम से विद्युत की बचत परियोजना का एक भाग भी है।

इसके अतिरिक्त, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेज (ईईएसएल), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, वर्ष 2014-15 से रिट्रोफिट कार्यक्रम के माध्यम से भवनों में एलईडी लैंपों, एलईडी ट्यूब लैम्पों, एलईडी आउटडोर लाइटों तथा अन्य एलईडी लाइटें लगाने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) : उन परियोजनाओं की सूची, जहाँ ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों का कार्यान्वयन ईईएसएल द्वारा किया गया है, निम्नवत है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यान्वयन का वर्ष**	**रिट्रोफिट किए गए भवनों की संख्या**	**भवनों का नाम**
1	दिल्ली	2014-15	1	नीति आयोग
		2015-16	1	संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
		2016-17	15	राजीव चौक एवं बाराखंभा मेट्रो स्टेशन / विद्युत भवन / लोकनायक भवन/ ट्रांसपोर्ट भवन / सरदार पटेल भवन / सेवा भवन / वेस्ट ब्लॉक / ईस्ट ब्लॉक / निर्माण भवन / आईपी भवन / कृषि भवन / विज्ञान भवन / पुष्पा भवन / शास्त्री भवन
2	पश्चिम बंगाल	2014-15	1	बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीएंड आई)
		2016-17	1	कोल इंडिया लिमिटेड
3	महाराष्ट्र	2016-17	3	देना बैंक (2) / मैंगनीज ओर इंडिया लि. (एमओआईएल)
4	कर्नाटक	2016-17	1	आईएएस एसोसिएशन
5	जम्मू व कश्मीर	2016-17	2	जम्मू असेंबली / जम्मू सेक्रेटारियट
6	उत्तर प्रदेश	2016-17	1	इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूएआई)
कुल			**26**	

ऐसी परियोजनाएं जहाँ भवन प्रबंधन समाधान के माध्यम से विद्युत की बचत का कार्यान्वयन वर्तमान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है, निम्नलिखित हैं:

- इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), द्वारका, नई दिल्ली
- जूपीटर हॉस्पीटल, पुणे, महाराष्ट्र

(ङ) : ऐसी परियाजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा ईईएसएल को कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन भवन के स्वामी द्वारा ईएसएसीओ (एनर्जी सर्विस कंपनी) मॉडल (अर्थात् निवेश ईईएसएस द्वारा किया जाता है और ऊर्जा बचत के माध्यम से वसूल किया जाता है) या सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल के माध्यम से किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-227

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

'उजाला' और 'एसएलएनपी' योजनाओं का कार्यान्वयन

227. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री चंदूलाल साहूः
श्री के. अशोक कुमारः
कर्नल सोनाराम चौधरीः
श्री ओम बिरलाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार "उजाला" और "गलियों को रोशन करने की राष्ट्रीय योजना" (एसएलएनपी)" नामक दो कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन दो कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) इन कार्यक्रमों का वर्तमान में किन राज्यों में कार्यान्वयन हो रहा है तथा उन राज्यों में इन दो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से हासिल उपलब्धियों जैसे एलईडी बल्ब अपनाने वाले घरों की संख्या तथा गलियों में रोशनी के लिए कितने बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला गया, का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब तक कितनी ऊर्जा की बचत हुई है;

(ङ) अन्य राज्यों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित न करने का कारण क्या है तथा संघ सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई हैं;

(च) क्या एलईडी बल्ब की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में लगातार कम हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केन्द्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वैश्विक एलईडी कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) द्वारा राष्ट्रीय एलईडी नामक कार्यक्रम शुरू किया है जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। **ईईएसएल ने एक** अभिनव व्यापार **मॉडल विकसित किया है जिस**में **इन कार्यक्रमों में** सम्पूर्ण **निवेश ईईएसएल द्वारा किया** जाता

है और निवेश ऊर्जा बचतों से समय पर वापस दे दिया जाना है। इस स्कीम में भारत सरकार की सब्सिडी का कोई घटक नहीं है। ईईएसएल माँग को समेकित करता है और थोक प्राप्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए एलईडी बल्बों की ई-प्राप्ति करता है जिसे लाभ प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ निम्नलिखित हैं:

	उजाला कार्यक्रम	एसएलएनपी कार्यक्रम
3 वर्षों में वितरित किए गए एलईडी बल्बों/बदले जाने वाली स्ट्रीट लाइटों की संख्या	77 करोड़	3.5 करोड़
संभावित वार्षिक ऊर्जा बचतें	100 बिलियन केडब्ल्यूएच (लगभग)	9 बिलियन केडब्ल्यूएच (लगभग)
संभावित उपयोग न की गई क्षमता	20,000 मेगावाट (लगभग)	1500 मेगावाट (लगभग)
अनुमानित पूंजी निवेश (ओएंडएम लागत को छोड़कर) (लगभग)	8000 करोड़ रुपये	35,000 करोड़ रुपये
वार्षिक अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन कमी (लगभग)	80 मिलियन टन CO_2	602 मिलयन टनCO_2
कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अब तक बचत की गई ऊर्जा की अनुमानित मात्रा (बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष)	26.2	0.42

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम में भाग लेना ऐच्छिक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जहाँ इन कार्यक्रमों को वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है और एलईडी बल्बों का प्रयोग करने वाले घरों की संख्या तथा बदली गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(च) : ईईएसएल पूरे देश की माँग को समेकित करता है और भारी मात्रा में एलईडी बल्ब का प्रापण करता है। ईईएसएल द्वारा माँग को समेकित करने और बल्बों के प्रापण से फरवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक के दौरान एलईडी बल्बों की प्रापण कीमतों में लगभग 88% की कमी हुई अर्थात 310/- रुपये से 38/- रुपये (खुदरा मूल्य 550 रुपये से घटकर 65 रुपये) हुआ।

(छ) : उजाला और एसएलएनपी कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वैश्विक एलईडी कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत एलईडी बल्बों में स्विचओवर किए गए घरों तथा एसएलएनपी कार्यक्रम के अतंर्गत एलईडी लैम्पों द्वारा बदली गई स्ट्रीट लाइटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	एलईडी बल्बों में स्विचओवर किए गए घरों की संख्या	एलईडी लैम्पों द्वारा बदली गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या
जम्मू व कश्मीर	1,809,908	700
पंजाब	19,226	3,682
हरियाणा	3,001,066	-
उत्तराखंड	1,144,145	500
हिमाचल प्रदेश	2,370,810	12,681
दिल्ली	2,553,841	226,718
उत्तर प्रदेश	4,934,599	41,646
राजस्थान	4,091,394	593,523
गुजरात	9,974,335	44,147
मध्य प्रदेश	3,417,910	9,407
बिहार	3,269,239	150
सिक्किम	466	-
महाराष्ट्र	6,886,414	24,154
झारखंड	2,779,457	2,800
छत्तीसगढ़	2,138,733	661
ओडिशा	2,832,589	-
नागालैंड	77,502	-
असम	263,033	4,798
मेघालय	30,218	-
मिजोरम	28,534	-
आंध्र प्रदेश	6,599,166	575,625
पश्चिम बंगाल	421,622	300
तेलंगाना	186,828	2,671
गोवा	272,170	48,306
कर्नाटक	4,797,594	-
तमिलनाडु	20,339	-
केरल	2,939,780	9,707
दमन व दीव	38,143	-
दादर व नागर हवेली	29,430	-
लक्षद्वीप	33,333	-
अंडमान व निकोबार	133,333	-
पुडुचेरी	203,084	300
त्रिपुरा		36,789
कुल	**67,298,240**	**1,639,265**

****